न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बरः– 78 / 2024
निर्णय दिनांकः– 24.10.2024
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

नोरतन पुत्र दोला जाति बैरवा निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला दूदू।

वादी

बनाम

1. पॉचू पुत्र दोला जाति बैरवा निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला दूदू।
2. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री दोलतराम चौधरी अधिवक्ता वादी
श्री पंकज माहेश्वरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1

वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी फागी सत्यमेव जयते जिला – दूदू

निर्णय दिनांकः– 24.10.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त मे इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 323 का आराजी खसरा नं. 2657 रकबा 1.5553 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी, जिला दूदू में स्थित है, जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 है एवं प्रवितादी का 1/2 हिस्सा है। इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आये है। वादी व प्रतिवादी स्व. दोला के जाईन्दा पुत्र है तथा दोला जो वादी का पिता है जो अपने जीवनकाल में उक्त आराजी क्रय कर प्रतिवादी सं. 1 के नाम करवा दी थी क्योंकि उस समय वादी छोटा व नाबालिग था परन्तु एक सयुंक्त परिवार में रहकर वादी व प्रवितादी सं. 1 अपने पिता पिता के साथ मिलकर संयुक्त परिवार की आय से उक्त आराजी क्रय की है जिसमें संयुक्त परिवार का खर्चा हुआ है। परन्तु वरवक्त विक्रय पत्र वादी के पिता ने उक्त आराजी अकेले प्रतिवादी सं. 1 के नाम करवा दी परन्तु वादी व प्रवितादी सं. 1 संयुक्त परिवार में रहते आये तथा कुछ समय पूर्व वादी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। जिसके अनुसार वादी उक्त आराजी में अपना हक व हिस्सा रखता आया है जिसके अनुसार वादी 1 / 2 हिस्से का खातेदार काश्तकार हो चुका है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 भी संयुक्त रूप से रहने लगे एवं उक्त आराजी में अपने 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता आया है परन्तु अब प्रतिवादी सं. 1 के लडके बड़े हो गये है तथा प्रतिवादी सं. 1 वादी के कब्जे की भूमि को नाम लगवाने पर तत्पर है एवं प्रतिवादी सं. 1 की संताने अब विरोध करने लगी है क्योंकि उक्त आराजी अकेले प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसका नाजायज फायदा उठाकर वादी को उसके हिस्से की भूमि नाम लगवाने से मना करने लगे है जबकि उक्त विवादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की आय से अर्जित भूमि है जिसमें

लगातार.................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला–दूदू

प्रतिवादी सं. 1 कर्ता खानदान था के नाम आपसी सहमती से लगायी गयी है वादी भी अपने बालिग होने के पश्चात उक्त आराजी को 1/2 हिस्से पर काश्त कारता आया है तथा नाबालिग अवस्था में मवेशी चराने का काम करता था जिसकी आय से भी उक्त आराजी अर्जित की गई है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 की समाज प्रथा अनुसार भी बडे भाई द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में मिले प्रत्येक चल अचल सम्पति में उसके संयुक्त दायभागी को हिस्सा निहित है। इसलिए वादी उक्त आराजी में अपने 1/2 हिस्से की भूमि को जरिये घोषणा खातेदारी करवाने का अधिकारी हो गया है। वादी प्रतिवादी सं. 1 के मध्य पूर्व में मधुर संबंध रहे परन्तु वर्तमान में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव होने लगा है तथा प्रतिवादी सं. 1 की संताने बडी हो गई है जो उक्त आराजी अपने पिता के नाम होने की कहकर वादी को अब जबरन वेदखल करने पर आमादा है वर्तमान में वादी ने अपने हिस्से में सावणु फसल काश्त की थी जो अतिवृष्टि से नष्ट हो गयी जिस पर पानी भरा हुआ था जिसे दिनांक 28/09/2024 को निकालने लगा तो प्रतिवादी सं. 1 व उसके वारीसों ने वादी को कब्जा छोडने तथा दुबारा नहीं आने की धमकियाँ देने लगे तब वादी ने उनको बताया कि उक्त आराजी उसके पिता द्वारा तथा वादी व प्रतिवादी सं. 1 की मेहनत से अर्जित धन से क्रय की है जिसमें वादी का हक निहित है एवं अपने पिता के जीवनकाल से 1/2 हिस्से पर काश्त करता आया हूँ परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने ऐलानियाँ धमककियाँ दी कि मेरे नाम दर्ज सम्पूर्ण आराजी को अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचान करूंगा जो लाठी के दम पर तुम्हें उक्त आराजी से बेदखल कर कब्जा प्राप्त कर लेगा । इसलिए वादी को यह वाद बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 पेश करना लाजमी आया है। प्रतिवादी सं. 1 व उसके परिवारजन उक्त प्रकार से वादी को बेदखल करने में सफल हो गये हो वादी को अपनी कब्जेशुदा व संयुक्त परिवार की आय से क्रयशुदा आराजी से महरूम होना पडेगा इसलिए प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा वादी को उसका हक व हिस्से की 1/2 भूमि पर किसी प्रकार की मजाहमत अन्य से करावें । इसलिए वाद स्थायी निषेधाज्ञा भी पेश करना लाजमी आया है। वादी को अपने पिता की जीवनकाल में संयुक्त परिवार की आय से क्रयशुदा उक्त विवादग्रस्त आराजी में अपने 1/2 हिस्से बाबत् घोषणा खातेदारी करवाया जाना अब आवश्यक हो गया है क्योंकि वर्तमान में भूमियों की दरें काफी बढ गई है एवं प्रतिवादी सं. 1 व उसके परिवारजन उक्त प्रकार से उक्त अराजी को हडपने की फिराक में है। जबकि वादी अपने 1/2 हिस्से का खातेदार बखुबी हो चुका है । इसलिए भी यह वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी आया है। वाद कारण दिनांक

लगातार...............3

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला–[illegible]

28 / 09 / 2024 को जब उत्पन्न हुआ जब वादी अपने हिस्से व कब्जेकाश्त की भूमि से बरसाती पानी को निकालने लगा तब प्रतिवादी सं. 1 व उसके परिवारजन द्वारा वादी को कब्जा हटाने व दुबारा काश्त नहीं करने की धमकियाँ देने से उत्पन्न हो निरन्तर जारी है। इसलिए वादी का वाद अन्दर मियाद पेश है। विवादित आराजी न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकारी में स्थित होने के कारण वाद पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी सं0 1 की और से अधिवक्ता श्री पंकज माहेश्वरी उपस्थित आये तथा इकबालिया जबाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया एवं अपने जबाब मे वाद पत्र के तथ्यो को स्वीकार करते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

वादी व प्रतिवादी स्वंय हाजिर अदालत आये तथा राजीनामा पेश किया जो वाद तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया तथा अपने राजीनामा मे बताया की पक्षकारान के मध्य बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक उक्त विवादग्रस्त आराजी मे 1/2 हिस्सा वादी का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 का रहेगा। मुताबिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस मे वाद के तथ्यों को दौहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस मे वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072 — 2075 वाके ग्राम फागी उत्तर के खाता सं0 323 प्रतिवादी सं0 1 के सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो चूका है तथा प्रतिवादी ने अपने राजीनामा व इकबालिया जबाब मे वादी का वाद डिक्री किये जाने पर कोंई आपत्ति प्रकट नही की है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर ववादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 323 का आराजी खसरा नं. 2657 रकबा 1.5553 हैक्टेयर

लगातार.................4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला—दूदू

भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी, जिला दूदू में स्थित आराजीयात मे वादी को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं0 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी फागी
सत्यमेव जयते
जिला – दूदू

25/X/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

नोरतन बनाम पॉचू वगै0
मु0न0:– 78 / 2024
निर्णय दिनांक– 24.10.2024

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

नोरतन पुत्र दोला जाति बैरवा निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला दूदू।

बनाम

पॉचू पुत्र दोला जाति बैरवा निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला दूदू वगै0।

::– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु0न0:– 78 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री दौलतराम चौधरी हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादी श्री पंकज माहेश्वरी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाकर ववादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 323 का आराजी खसरा नं. 2657 रकबा 1.5553 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी, जिला दूदू में स्थित आराजीयात मे वादी को 1 / 2 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं0 1 को 1 / 2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निज......—......मुबलिग......—......वाबत......—......खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ......—......फीसदी......—......सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ......—......का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 / 10 / 2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत..............

उपखण्ड अधिकारी
ओहदा
फागी, जिला–दूदू

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू